न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 19/2018

अनवान :

1. प्रभुराम
2. बुधराम

पुत्रान नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. कृष्णा
3. मीरा
4. सन्तोष
5. शकून्तला
6. सरला
7. राधा

पुत्रियान नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड, विभाजन जोत अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री ~~अक्षय सहारण~~ जगदीश महला **: प्रार्थी**

निर्णय **दिनांकः** 10.5.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक1 बरवाली के खाता सं0 47/47 के मु0नं0 39 के किला नं0 4/1, 5/1, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 25 की कुल 2.119 है0 नहरी मय खाला की कृषि भूमि है। चक 6 एनटीआर की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता सं0 68/55 के मु0नं0 33 के किला नं0 17/1, 18 ता 23, 24/1 की कुल 1.678 है0 नहरी मय खाला की कृषि भूमि है। उक्त दोनों खातों की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 नत्थुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है जो संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है व परिवार का कर्ता होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हुई है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा रामरख के नाम खातेदारी थी उसमें पहले यह भूमि वादीगण के पड़दादा पतराम के नाम दर्ज थी जो विरासतन प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई है। इसके अलावा चक 1 बरवाली के खाता सं0 45/43 की 0.506 है0 नहरी व चक 3 बरवाली की खाता सं0 39/38 की 2.255 है0 नहरी कृषि भूमि भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम है। चूंकि चक 1 बीआरडब्ल्यु, 3 बीआरडब्ल्यु के रामरख के नाम खातेदारी थी जो उसके वारिसान का विभाजन होने पर पारिवारिक बंटवारा में समस्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हुई है। वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 स्वयं की संयुक्त हिन्दू परिवार में रहते हुए संयुक्त सरमाये से अर्जित की हुई भूमि भी इसमें शामिल है। इस प्रकार वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि होने के कारण इसमें वादीगण का भी जन्म से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण सं0 2 ता 7 ने वाद भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा बनता था वह वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। इसके अलावा प्रतिवादी सं0 1 ने भी अपना जो भी हक हिस्सा था वह आपसी प्रेम, स्नेह के कारण वादीगण के हक में छोड़ दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणक को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमतिसे राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा रामरख के नाम खातेदारी थी उसमें पहले यह भूमि वादीगण के पड़दादा पतराम के नाम दर्ज थी जो विरासतन प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई है। वाद भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) भादरा (हनुमानगढ़)

संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि होने के कारण इसमें वादीगण का भी जन्म से हक व अधिकार है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 1 बरवाली व चक 1 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। किन्तु वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि होने का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण अपना दावा साबित कर पाने में असफल रहे है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्षकार अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी, भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 19/2018

अनवान :

1. प्रभुराम
2. बुधराम

} पुत्रान नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. कृष्णा
3. मीरा
4. सन्तोष
5. शकून्तला
6. सरला
7. राधा

} पुत्रियान नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री ~~श्रवण सहारण~~ जगदीश मच्छा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्षकार अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ